न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 6 / 2025

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2025 / 99

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. गाडरी समाज संस्थान नान्दशा जरिए अध्यक्ष उदयराम पिता दीपचन्द गाडरी लिवासी नान्दशा तहसील रायपुर		1. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री अमरसिंह चारण, प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी पैराकार सरकार उपस्थित

:निर्णयः

दिनांक–06.10.2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि गाडरी समाज संस्थान नान्दशा की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में अंकित आराजी संख्या 3488/1012 रकबा 0.22 भूमि खाता संख्या 847 पर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एव नक्शा ट्रेश प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र की कलम सख्या एक में वर्णित गाडरी समाज की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता ग्राम नान्दशा की आराजी संख्या 1026 किस्म गे.मु. सड़क से लगता हुआ दक्षिण दिशा की ओर बिलानाम आराजी 1013 रकबा 0.17 है0 भूमि के मध्य होकर 30 फिट चौडा रास्ता गाडरी समाज की आ.स. 3488/1012 में जाता है जिससे अपनी आराजियात में आवागमन कर काश्त कर रहे हैं। मौके पर रास्ता चालु हैं। प्रार्थी व उक्त आराजियात के पूर्व खातेदारान वर्षो से अपनी उक्त आराजीयात में आवागमन करते चले आ रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज, बैल, गाडी. ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते हैं। गाडरी समाज की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नान्दशा में स्थित कृषि आराजी संख्या 3488/1012 में आवागमन के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 1013 के मध्य से होकर 30 चौड़ा रास्ता को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार को प्रदान फरमाया जाकर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी.दर की राशि राजकोष में जमा कर विपक्षी को अदा करने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 1013 रकबा 0.17 है0, भूमि ग्राम नान्दशा में

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 3488/1012 तक बंरग हरा चौड़ा रास्ता 30 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थी को आपति नहीं है।

04. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है, तो आपति नहीं है।

05. हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1013 रकबा 0.17 है0, भूमि में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी ने जरिए पत्रांक/6/2025/990 दिनांक 19.08.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. आराजी संख्या 1013 मे होकर ही प्रार्थी खातेदार वर्तमान में आ जा रहा है।

ii. मौके पर आराजी संख्या 1013 में रास्ता बन्द नही है।

iii. वर्तमान में इसी आराजी संख्या 1013 मे से होकर आ जा रहे है।

iv. उक्त रास्ते में बिलानाम खसरा संख्या 1013 रकबा 0.17 है0 किस्त पड़त II में लम्बाई में 9 मीटर, चौड़ाई में 9.14 मीटर भूमि रास्ता में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 950000/–रूपये प्रति हैक्टयर है।

v. आराजी संख्या 1013 में जो रास्ता चाहा गया है उसे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

vi. मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध नही है।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

07. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 3488/1012 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं मौके पर रास्ता मौजुद हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते का रकबा 0.0083 है0 बनता हैं, जो खसरा संख्या 1013 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है, इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

08. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.रायपुर

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 0.0083 है0 की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–950000 रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 15770/–रूपये वनती है, जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति सावित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3488/1012 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 1013 रकबा 0.17 है0 मे से 0.0083 है0, भूमि संलग्न नक्शानुसार सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 15770/–(अक्षरे पन्द्रह हजार सात सौ सितर) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ. रायपुर)